

## प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- अहरौला

फिरौती हेतु अपहरण की घटना का सफल अनावरण; अपरणकर्ता सीआईए के नाम से चलाते हैं एजेन्सी, बंदूक व कारतूस के साथ सीआईए के 04 सदस्य गिरफ्तार, सवा लाख रूपये नगद, 4.6 लाख रूपये के जेवरात, फिरौती के पैसे से खरीदी गयी बाइक, घटना में प्रयुक्त स्कार्पियों वाहन बरामद।

**1.घटना का संक्षिप्त विवरण-** दिनांक- 29.05.2022 को वादी श्री महेन्द्र यादव पुत्र रामदवर यादव निवासी रीवा सुल्तानपुर, थाना फूलपुर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि दिनांक- 26.04.2022 को वादी अपनी मोटरसाइकिल से ग्राम कटवा गहजी थाना अहरौला आजमगढ़ के निवासी मनोज गौतम के घर जा रहा था। ज्योहि मनोज गौतम के घर के सामने नहर पर मोटरसाइकिल खड़ा किया था तबतक एक स्कार्पियों में बैठे कुछ व्यक्ति आये जो अपने को एसओजी का बताकर पूछताछ के लिए अपनी गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर लिया। वादी के साथ मारपीट कर 10 लाख रूपये की मांग की। उपरोक्त व्यक्तियों ने वादी के छोटे भाई को फोन लगाया तो छोटे भाई की पत्नी अनामिका यादव ने फोन उठाया और फर्जी एसओजी वालों द्वारा धमकी दी गयी कि अपने पति की जान चाहती तो 01 घण्टे में बताये गये पते पर 10 लाख रूपये लेकर आओ। जब तक पैसे की व्यवस्था नहीं हुई तबतक वादी को गाड़ी में बैठाकर इधर उधर घुमाते रहें। फर्जी एसओजी द्वारा ग्राम कोयलसा के सामने बुलाकर मेरे भाई कि पत्नी से 3,60,000/- रूपये नगद तथा 6,50,000/- रूपये कीमत के जेवरात तथा मोबाइल को छिनकर वादी को गाड़ी से धक्का देते हुए वहाँ से भाग गये, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 202/22 धारा 364 ए भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। उपरोक्त अज्ञात अभियुक्तों द्वारा थाना क्षेत्र के कटवा गहजी में वादी मुकदमा महेन्द्र यादव को स्कार्पियों गाड़ी से अपहरण करके फिरौती की मांग की गयी थी।

**गिरफ्तारी का विवरण-** पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा मुकदमा उपरोक्त का अनावरण एवं गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक अहरौला को निर्देशित किया गया जिसके क्रम में दिनांक- 31.05.2022 को प्रभारी निरीक्षक श्री गजानन्द चौबे मय हमराह, व0उ0नि0 रमेश कुमार, उ0नि0 यशवन्त सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त का अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्त 1. राजेंद्र पाठक पुत्र सालिक राम निवासी शिवरा थाना सिकरारा जनपद जौनपुर 2. सूर्यभान गौतम पुत्र दधिबलराम नि0 बनकट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 3. प्रहलाद मौर्य पुत्र शिवबचन मौर्य नि0 टाड़ा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर 4. मनीष पाठक पुत्र सीताराम नि0 ठुकमुदीपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को गोसाईपुरा ग्राम के सामने स्थित अन्डर ग्राउन्ड पुलिया पूर्वाचल एक्सप्रेसवे से समय 22.38 बजे गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से एक लाख अट्टाईस हजार रुपया नगद, 4.6 लाख रूपये के आभूषण, एक अदद 12 बोर बन्दूक नजायज, 2 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्कार्पियों चार पहिया वाहन तथा फिरौती के पैसे से खरीदी गयी 01 अदद मोटरसाकिल (कीमत 88 हजार रूपये) बरामद हुए हैं। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा इस घटना के साथ साथ अन्य जनपदों में भी इस तरह का अपराध कारित कर चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पूछताछ का विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये गैंग CIA के नाम से एजेन्सी (वेबसाइट) चलाते हैं। इस गैंग में चार अभियुक्त गिरफ्तार हैं जिसमें 1. अभियुक्त राजेन्द्र पाठक जो राज्य प्रभारी तथा 2. मनीष पाठक सदस्य तथा 3. अभियुक्त प्रह्लाद मौर्य जनपद गोरखपुर का प्रभारी और 4. अभियुक्त सूर्यभान गौतम सदस्य के रूप में हैं। वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक से संपर्क कर धन उगाही करते हैं। पुलिस व प्रशासन से अपनी नजदीकी का दावा कर लोगो से पैसा वसूलते हैं। ये अपने गाड़ी को ऐसे तैयार किये थे जैसे पुलिस की गाड़ी हो, और ऐसे लोगो को टारगेट करते थे जिनसे ये धन उगाही कर सके। इनके कब्जे से एक लाख अट्टाईस हजार रुपया नगद, 4.6 लाख रूपये के आभूषण, एक अदद 12 बोर बन्दूक नजायज, 2 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्कार्पियों चार पहिया वाहन तथा फिरौती के पैसे से

खरीदी गयी 01 अदद मोटरसाकिल (कीमत 88 हजार रूपये) बरामद हुए है। इस वेबसाइट का अध्ययन किया गया तो यह वेबसाइट आल इंडिया पर इसके पदाधिकारी वेबसाइट पर दर्शाये गये है। अभी इसमें और विस्तार से पूछताछ की जा रही है। इनके मेम्बर किस-किस जनपद में कितना नेटवर्क फैला हुआ है। जो इनके मेम्बर बनाये गये है उनकी क्या गतिविधियां है। पूरे विस्तार में इसकी विवेचना की जायेगी। जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसकी विवेचना साइंटिफिक तरीके से करते हुए भविष्य में इनके विरुद्ध गैस्टर एक्ट की कार्यवाही और उसके साथ साथ गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्तों द्वारा अर्जित सम्पत्ति को धारा 14(1) के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

### पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 202/22 धारा 364-A भादवि थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्त -

1. राजेंद्र पाठक पुत्र सालिक राम निवासी शिवरा थाना सिकरारा जनपद जौनपुर (सीआईए के राज्य प्रभारी)
2. सूर्यभान गौतम पुत्र दधिबलराम नि0 बनकट थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ (सीआईए के सदस्य)
3. प्रहलाद मौर्य पुत्र शिवबचन मौर्य नि0 टाड़ा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर ( सीआईए के जनपद प्रभारी गोरखपुर)
4. मनीष पाठक पुत्र सीताराम नि0 ठुकमुद्दीपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ (सीआईए के सदस्य)

### फरार अभियुक्त:-

1. श्रीप्रकाश यादव पुत्र गयाराज यादव निवासी शिऊरा थाना सिकरारा जनपद जौनपुर
2. सुमित राम पुत्र प्यारेलाल निवासी नईगंज थाना कोतवाली जिला जौनपुर
3. मनोज गौतम पुत्र रामशबद निवासी कटवा गहजी थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़

### बरामदगी-

- 1- एक लाख अट्टाईस हजार रूपया नगद,
- 2- 4.6 लाख रूपये के आभूषण,
- 3- एक अदद 12 बोर बन्दूक नजायज, 2 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर
- 4- घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्कार्पियो चार पहिया वाहन
- 5- फिरौती के पैसे से खरीदी गयी 01 अदद मोटरसाकिल (कीमत 88 हजार रूपये)
- 6-

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री गजानन्द चौबे, व0उ0नि0 रमेश कुमार, उ0नि0 यशवन्त सिंह, हे0का0 सुभाष यादव, का0 अनिल केसरी, का0 बृजभान यादव, म0का0 नेहा शुक्ला, थाना- अहिरौला, आजमगढ़ ।